भारत सरकार
विदेश मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या – **1356**
दिनांक **30.07.2026** को उत्तर दिए जाने के लिए

विदेशों में रहने वाले भारतीयों को कांसुलर सहायता प्रदान किया जाना

1356. श्री तरुण चुग
श्री मनन कुमार मिश्र
श्री बाबूभाई जेसंगभाई देसाई

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या मंत्रालय ने विदेशों में रहने वाले, कार्यरत अथवा यात्रा कर रहे भारतीयों के कल्याण, संरक्षण तथा कांसुलर सहायता को सुदृढ़ करने के लिए पहलें की है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) उत्प्रवासी कामगारों के लिए सुरक्षित, पारदर्शी एवं सुव्यवस्थित विदेशी रोजगार सुनिश्चित करने में ई-माइग्रेट पारितंत्र की क्या भूमिका है;

(ग) क्या संकट की परिस्थितियों में भारतीय मिशनों एवं उनके कार्यालयों के बीच समन्वय में सुधार लाने के लिए नई संस्थागत अथवा प्रौद्योगिकी-आधारित तंत्र विकसित किए गए हैं और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) प्रवासी भारतीयों के लिए कल्याण, कांसुलर सहायता तथा सामुदायिक सहयोग कार्यक्रमों की आउटरीच एवं प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए क्या-क्या उपाय किए गए हैं?

उत्तर
विदेश राज्य मंत्री
(श्री कीर्तवर्धन सिंह**)**

(क) से (घ) विदेशों में रहने वाले भारतीय नागरिकों की सुरक्षा, संरक्षा और कल्याण भारत सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। भारतीय मिशन/केंद्र सतर्क रहते हैं और विदेशों में भारतीय नागरिकों को प्रभावित

करने वाली किसी भी अप्रिय घटना की बारीकी से निगरानी करते हैं। ऐसे मामलों को तुरंत मेजबान देश के संबंधित प्राधिकारियों के साथ उठाया जाता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि मामलों की उचित जांच हो और अपराधियों को उनके घरेलू कानूनों के अनुसार दंडित किया जाए।

विदेशों में स्थित भारतीय मिशन/केंद्र, जब भी आवश्यक हो, भारतीय नागरिकों को सभी संभव कोंसली सहायता प्रदान करते हैं। भारतीय नागरिक विदेश में स्थित भारतीय मिशनों/केंद्रों से वॉक-इन, ईमेल, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, 24X7 आपातकालीन टेलीफोन नंबरों और मिशनों/केंद्रों द्वारा स्थापित टोल फ्री हेल्पलाइन, संकट में फंसे प्रवासी भारतीयों की सहायता के लिए विदेश मंत्रालय (मदद), केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (सीपीग्राम्स) आदि के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं ताकि उनकी शिकायतों का तुरंत निवारण किया जा सके। भारतीय मिशन और केंद्र भी, आवश्यकतानुसार विधिक सहायता प्रदान करने में मदद करते हैं। मिशन और केंद्र स्थानीय अधिवक्ताओं का एक पैनल भी बनाए रखते हैं, जहां भारतीय समुदाय बड़ी संख्या में है। विदेशों में संकटग्रस्त भारतीय नागरिकों द्वारा किसी भी आकस्मिक व्यय को पूरा करने के लिए, विदेशों में स्थित सभी भारतीय मिशनों/केंद्रों में स्थापित भारतीय समुदाय कल्याण कोष (आईसीडब्ल्यूएफ) के तहत, योग्य मामलों में, सहायता प्रदान की जाती है। इसके अलावा, विदेशों में संकटग्रस्त भारतीय नागरिकों को सहायता प्रदान करने के लिए दुबई, शारजाह, रियाद, जेद्दा और कुआलालंपुर में प्रवासी भारतीय सहायता केंद्र (पीबीएसके) स्थापित किए गए हैं। भारतीय नागरिकों के लिए समय-समय पर परामर्शी जारी की जाती हैं, जिसमें उनसे उचित सावधानी बरतने और सतर्क रहने के लिए कहा जाता है। सरकार, विदेश में भारतीय नागरिकों के जीवन को प्रभावित करने वाली घटनाओं के प्रति सतर्क है तथा उनके हितों और कल्याण की रक्षा के लिए सभी उपाय करती है। मंत्रालय सभी स्तरों पर महत्वपूर्ण कोंसली मुद्दों से संबंधित नियमित आदान-प्रदान के लिए विदेशी सरकारों के साथ कोंसली संवाद भी आयोजित करता है।

इसके अलावा, ई-माइग्रेट पोर्टल के माध्यम से उत्प्रवास जाँच अपेक्षित (ईसीआर) पासपोर्ट **वाले** भारतीय नागरिकों के विदेशों में रोजगार और अधिसूचित ईसीआर देशों में प्रवास करने की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाया गया है। वेब-आधारित एप्लिकेशन, जो विदेशी नियोक्ताओं (एफई), पंजीकृत भर्ती एजेंटों (आरए) और संभावित प्रवासियों सहित सभी हितधारकों को एक साझा मंच पर लाता है, ने प्रवास प्रक्रिया को पूरी तरह से डिजिटल, पारदर्शी, तेज, सुरक्षित, वैध और मानवीय बना दिया है। प्रवासियों और अन्य हितधारकों के लिए किसी भी प्रश्न/मुद्दे के समाधान में सहायता हेतु एक समर्पित हेल्पलाइन और सहायता प्रणाली भी उपलब्ध है। इस पोर्टल पर फर्जी नौकरी के प्रस्तावों और धोखाधड़ी/अवैध भर्ती एजेंसियों से संबंधित परामर्शी/अलर्ट जारी किए जाते हैं। जून 2026 तक, पोर्टल पर कुल 3505 अनधिकृत एजेंटों को अधिसूचित किया गया है।

दिनांक 14 अक्टूबर 2024 को एक अद्यतन, नवीनीकृत और उपयोगकर्ता के अनुकूल ई-माइग्रेट-वी2.0 पोर्टल की शुरुआत की गई थी। इस नए पोर्टल को, पूरे विश्व के उपयोगकर्ताओं द्वारा दस्तावेजों के भंडारण और पहुंच के

लिए डिजिलॉकर; पूरे देश में 5 लाख से अधिक केंद्रों के अपने नेटवर्क के माध्यम से उत्प्रवास संबंधी सेवाओं की आपूर्ति को सक्षम करने के लिए सामान्य सेवा केंद्रों (सीएससी); अखिल भारतीय ई-गवर्नेंस सेवाओं तक पहुंच प्रदान करने हेतु नई शासन व्यवस्था के लिए एकीकृत मोबाइल एप्लीकेशन (उमंग); क्षेत्रीय भाषाओं में जानकारी तक पहुंच को सक्षम बनाने के लिए भारत के लिए भाषा इंटरफेस (भाषिणी); शून्य लेनदेन शुल्क के साथ एक अतिरिक्त डिजिटल भुगतान गेटवे के प्रावधान के लिए एसबीआईईपे; उत्प्रवासियों की निर्बाध और परेशानी मुक्त यात्रा के लिए आप्रवासन ब्यूरो; पासपोर्ट की ई-सत्यापन के लिए पासपोर्ट सेवा पोर्टल, अनिवार्य पीबीबीवाई पॉलिसी की खरीद के लिए बीमा कंपनियों आदि के साथ एकीकृत किया गया है। पहली बार ई-माइग्रेट मोबाइल ऐप भी विकसित किया गया है, जो हितधारकों को पोर्टल पर उपलब्ध प्रमुख सेवाओं तक आसान पहुंच प्रदान करता है, जिसमें आवेदन की स्थिति को ट्रैक करना, पंजीकृत और अपंजीकृत भर्ती एजेंटों की सूची प्राप्त करना, शिकायतें दर्ज करना आदि शामिल हैं।

यह पोर्टल ऑनलाइन डाटाबेस बनाने की सुविधा भी प्रदान करता है। ई-माइग्रेट पोर्टल के माध्यम से अब तक 52 लाख से अधिक उत्प्रवासियों को प्रवासन मंजूरी दी जा चुकी है। इस पोर्टल पर, 2400 से अधिक आरए और 3 लाख से अधिक एफई पंजीकृत हैं।
